न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/17/2025 रजू दिनांकः 05.02.2025 रजि0 न0 2025/24

अपीलार्थीः–
श्री प्रहलाद पुत्र श्री कन्हैयालाल गुप्ता, निवासी प्लॉट सं. 12/45 व 95, रिद्धि–सिद्धि भवन, दीवानजी का चौक, मुंशी बाजार, वार्ड नं. 12, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 10.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को ऑनलाईन RTI पोर्टल के माध्यम से आवेदन दिनांक 25.01.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉंछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2025/140 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से RTI Online Portal पर प्रस्तुत सूचना आवेदन क्रमांक 293943255702357 दिनांक 25.01.2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा किए गये विनिश्चय पत्र सं0 6806559667 दिनांक 28.01.2025 के विरूद्ध आक्षेप व्यक्त किया है। जिसके संबंध में अनुरोध है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन क्रमांक 293943255702357 दिनांक 25.01.2025 के माध्यम से पूर्व प्रस्तुत RTI आवेदन सं. 293551722100670 दिनांक 22.01.2025 के परिपेक्ष्य में पुनः विविध सूचनाऐं चाह गई है जो कि अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल होने विश्लेषणात्मक–सृजनात्मक एवं खोजबीन कर उपलब्ध कराने स्वरूप सूचना होने, साथ ही प्रकरण में वर्तमान में जांच विचाराधीन होने के कारण, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत सूचना देय नहीं है साथ ही CCA Rules, 1958 की प्रति/सूचना, अपीलार्थी द्वारा कार्मिक विभाग, राज. सरकार की वेबसाईट "www.dop.rajasthan.gov.in" पर जाकर अवलोकन कर प्राप्त की जा सकती है। तदनुसार ऑनलाईन पोर्टल पत्र सं. 6806559667 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जाकर आवेदन अस्वीकृत किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में RTI Online Portal Letter No. 6806559667 Date 28.01.2025 के माध्यम से विनिश्चय किया जा चुका है तथापि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम अपील के संबंध में जरिये प्रतिलिपि क्रमांक सम/141 दिनांक 10.02.2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में पुनः सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)